भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 1921**
बुधवार, 5 अगस्त, 2026 (14 श्रावण 1948 (शक)) को उत्तरार्थ

## प्राथमिक ऋण समितियों का विकास

1921# श्री महेंद्र भट्टः

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्राथमिक ऋण समितियों को बहुउद्देश्यीय और आधुनिक संस्थाओं के रूप में विकसित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) उक्त पहलों के अंतर्गत राज्यों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

## उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) सरकार ने प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) को बहुउद्देशीय, आधुनिक और वित्तीय रूप से सक्षम ज़मीनी स्तर के संस्थानों के रूप में विकसित करने के लिए "सरकार का समग्र" दृष्टिकोण को अपनाया है। इस दिशा में उठाए गए प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं:

i. **पैक्स के लिए आदर्श उप-विधियां:** पैक्स को 25 से अधिक व्यावसायिक कार्यकलापों को शुरू करने में सक्षम बनाने, उनके शासन एवं पारदर्शिता में सुधार करने तथा महिलाओं और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के उद्देश्य से आदर्श उप-विधियां तैयार कर परिचालित की गई हैं । इन्हें 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपना लिया गया है।

ii. **सहकारी कवरेज का विस्तार:** दिनांक15.02.2023 को अनुमोदित राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत, अनाच्छादित पंचायतों और गांवों में नई बहुउद्देशीय पैक्स (M-PACS), डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना की जा रही है। दिनांक 15.07.2026 की स्थिति के अनुसार, 10,230 नई पैक्स सहित कुल 38,138 नई सहकारी समितियां पंजीकृत की गई हैं ।

iii. **पैक्स का कंप्यूटरीकरण:** पैक्स कंप्यूटरीकरण परियोजना के अंतर्गत, 2,925.39 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ, कार्यशील पैक्स को एक कॉमन ईआरपी-आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर में लाया जा रहा है । दिनांक 15.07.2026 की स्थिति के अनुसार, 79,630 पैक्स को मंजूरी दी जा चुकी है, जिनमें से 63,707 पैक्स को ईआरपी प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड कर लिया गया है तथा 54,707 पैक्स को ई-पैक्स घोषित किया जा चुका है ।

iv. **व्यावसायिक कार्यकलापों का विविधीकरण:** पैक्स को कॉमन सेवा केंद्रों, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों और प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों के रूप में कार्य करने तथा ग्रामीण जल आपूर्ति, नवीकरणीय ऊर्जा, पेट्रोल और डीजल रिटेल आउटलेट्स, एलपीजी वितरकों एवं अन्य ग्रामीण सेवाओं से संबंधित कार्यकलाप शुरू करने में सक्षम बनाया जा रहा है । अब तक, 55,514 पैक्स कॉमन सेवा केंद्रों (सीएससी) के रूप में, 38,974 पीएमकेएसके के रूप में तथा 645 जनऔषधि केंद्रों के रूप में सक्रिय हैं ।

v. **भंडारण एवं सम्बद्ध अवसंरचना का सृजन:** सहकारी क्षेत्र में विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत, पैक्स स्तर पर गोदामों, कस्टम हायरिंग सेंटरों और अन्य कृषि अवसंरचना का विकास किया जा रहा है। 505 पैक्स में निर्माण शुरू हो गया है, जिनमें से 302 गोदामों का निर्माण पूरा हो चुका है।

vi. **वित्तीय समावेशन एवं बाजार लिंकेज:** पैक्स को माइक्रो-एटीएम से लैस किया जा रहा है, जबकि उनके सदस्यों को रूपे किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, पैक्स को एकत्रीकरण , ब्रांडिंग, विपणन और निर्यात के लिए राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड, राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड जैसी राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियों के साथ भी जोड़ा जा रहा है।

vii. **क्षमता निर्माण:** प्रबंधकीय, प्रशासनिक और व्यवसाय-विकास क्षमताओं को सशक्त करने के लिए पैक्स सचिवों और अन्य पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं । सहकारिता क्षेत्र के लिए प्रशिक्षित पेशेवरों को तैयार करने के उद्देश्य से त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की गई है ।

(ख) विभिन्न पहलों के अंतर्गत राज्यों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **पैक्स कंप्यूटरीकरण: ₹2,925.39 करोड़** के कुल वित्तीय परिव्यय में से, विभिन्न राज्यों को निधियां जारी की जा चुकी हैं।
- **अवसंरचना प्रोत्साहन (अन्न भंडारण):** निर्माण कार्य को व्यवहार्य बनाने के लिए, सरकार ने सब्सिडी को 25% से बढ़ाकर **33.33%** कर दिया है। मैदानी क्षेत्रों के लिए संशोधित निर्माण लागत **₹6,000–7,000 प्रति मीट्रिक** टन तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए **₹8,000 प्रति मीट्रिक टन** निर्धारित की गई ।
- **एफपीओ एवं एफएफपीओ सहायता:** एनसीडीसी ने पैक्स के माध्यम से 1,117 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की स्थापना के लिए **₹320 करोड़** तथा मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ) के लिए **₹130 करोड़** संवितरित किए हैं।
- **पंजीयक कंप्यूटरीकरण: सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यालयों** के कंप्यूटरीकरण के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को भारत सरकार की हिस्सेदारी के रूप में **₹43.21 करोड़** जारी किए गए हैं।
- **सामान्य एनसीडीसी सहायता:** दिनांक 30 जून, 2026 तक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने सहकारी संस्थाओं के विकास के लिए कुल ₹5,74,090.48 करोड़ रुपये संवितरित किए हैं ।

***